अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

बिहार में निवासित अल्पसंख्यक (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी) छात्र/छात्राओं के लिए संचालित बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कटिहार, जमुई, नालंदा, मुजफ्फरपुर एवं कैमूर में सत्र 2026–27 में वर्ग–9वीं से वर्ग–12वीं (कला एवं विज्ञान संकाय) में नामांकन के लिए आवश्यक सूचना।

नामांकन हेतु आवश्यक सूचना

आवेदन हेतु पात्रता

- आवासीय विद्यालयों में वर्ग–9वीं एवं वर्ग–10वीं के लिए नामांकन हेतु अधिकतम आयु सीमा 16 वर्ष तथा वर्ग–11वीं एवं वर्ग–12वीं के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। विद्यालय में नामांकन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार होगा।
- अभ्यर्थियों की अधिकतम परिवारिक वार्षिक आय छः लाख रुपये होनी चाहिए।
- बिहार राज्य में निवासित अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों यथा–मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन एवं पारसी के छात्र/छात्राएँ कक्षा 09वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं में नामांकन हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में अध्ययनरत/उत्तीर्ण वस्तानिया के छात्र/छात्राएँ कक्षा 09वीं तथा फौकानिया में अध्ययन/उत्तीर्ण छात्र/छात्राएँ कक्षा 11वीं में नामांकन हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे।
- बिहार राज्य में निवासित सरकारी/सरकार से मान्यता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत/उत्तीर्ण छात्र/छात्राएँ के द्वारा अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में नामांकन हेतु आवेदन किया जा सकता है।
- आवेदन ऑनलाईन विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/ minoritywelfare/ CitizenHome.html पर उपलब्ध पोर्टल से किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन भरने के बाद छात्र/छात्राओं के द्वारा भरे गए आवेदन फॉर्म को वेबसाईट से डाउनलोड कर प्रिन्ट आउट निकालकर संबंधित जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में स्वयं अथवा रजिस्टर्ड डाक से जमा करना अनिवार्य होगा।
- कक्षा 10वीं एवं 12वीं में नव–नामांकित छात्र/छात्राओं का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से पंजीकरण स्थानांतरण सुनिश्चित किया जाएगा।
- प्रवेश परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र ऑन लाईन विभागीय वेबसाईट https:// state. bihar.gov.in/ minoritywelfare/CitizenHome.html के पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा
- ऑनलाईन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति, आय, आवासीय प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित प्रति (यदि उत्तीर्ण हो), फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं उम्र सीमा संबंधी प्रमाण पत्र को निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक होगा।

निःशुल्क आवासीय शिक्षा

आवेदन करने की तिथि– 01.04.2026 से 01.05.2026 तक

प्रमुख विशेषताएँ:–

- अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को चयनित कर उनके सर्वांगिण विकास हेतु उन्हें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से सक्षम बनाने का उद्देश्य।
- नौवीं से बारहवीं तक की पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था।
- आवासीय विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को निःशुल्क (free) नामांकन के साथ निःशुल्क (free) आवासन (भोजन, वस्त्र, दवा, पुस्तक) आदि की आधुनिकतम सुविधा।
- आधुनिक सुविधायुक्त प्रयोगशाला।
- उच्च माध्यमिक कक्षाओं (Intermediate) में PCM, PCB, ARTs आदि विषयों के पठन–पाठन की सुविधा।

आवेदन प्रक्रिया की तिथि

आवेदन पत्र समर्पित करने की तिथि:– 01.04.2026 से 01.05.2026 तक

फार्म में डाटा संशोधन करने की तिथि:– 02.05.2026 से 04.05.2026 तक

प्रवेश–पत्र डाउनलोड करने की तिथि:–05.05.2026 से 09.05.2026 तक

परीक्षा तिथि:– 10.05.2026

परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि:– 20.05.2026

नामांकन की तिथि–25.05.2026 से 30.05.2026 तक

सत्र प्रारम्भ की तिथि–01.06.2026

सामान्य विशेषताएँ:–

(क) अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में वर्ग–9वीं से वर्ग–12वीं में नामांकन 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा दो घंटो की होगी।

(ख) बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय योजना से संबंधित संकल्प संख्या–अ०क०क० 01–04–24–01/2017–441, दिनांक–23.05.2018 के आलोक में मार्गनिर्देशिका की कंडिका–04 के अनुसार विद्यालय में 50 प्रतिशत सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित होगी। बालक और बालिका दोनों वर्गों में 75 प्रतिशत ग्रामीण विद्यार्थियों के लिये आरक्षित रहेगा। शैक्षणिक संस्थानों में लागू आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा।

(ग) राज्य सरकार के अधीन शिक्षण संस्थाओं में लागू आरक्षण प्रावधान लागू होंगे।

नोट:–विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिला के अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में सम्पर्क करें या विभाग के वेबसाईट– https://state.bihar.gov.in/minoritywelfare/CitizenHome.html पर लॉग इन करें।

PR- 027478 (MWD) 2025-26

विशेष सचिव–सह–निदेशक

विस्तृत सूचना www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार